न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्र.क. 1659–तीन/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 13.09.2011 पारित –व्दारा–अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क0 730 बी 121/2010–11 निगरानी

महेन्द्र कुमार पुत्र पन्नालाल जैन
निवासी मालथौन तहसील मालथोन
जिला सागर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार
म.प्र.शासन के पैनल अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी

आदेश

(आज दिनांक 4.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 730 बी 121/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.7.11 एंव 13.09.2011 के विरूद्व म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 118 ने तहसीलदार मालथौन को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम मालथौन स्थित शासकीय पहाड़ चटटान भूमि कमांक 368 रकबा 5.78 है. के 50X 40 वर्गफुट भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) पर महेन्द्र पुत्र पन्ना–लाल जैन निवासी ग्राम मालथौन ने पक्का मकान बनाकर अतिकमण कर लिया है, इसलिये कार्यवाही की जावे। तहसीलदार मालथौन ने प्र0 क0 144 अ 68 /

अ 68/2009–10 पंजीबद्व किया तथा आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22–7–10 पारित किया तथा आवेदक पर रूपये 1500/–अर्थदण्ड अधिरोपित किया। आगामी दिन 23–7–10 को आवेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ, किन्तु उसके व्दारा जवावदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 23–7–10 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (2–ए) के अंतर्गत सिविल कारावास की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी खुरई को अग्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 13.10.2010 पारित किया एंव आवेदक को सिविल जेल भेजने हेतु बारंट जारी करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर जिला सागर के समक्ष आवेदक व्दारा निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 10/अ–68/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2011 से निगरानी निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष निगरानी करने पर प्र.. 730 बी 121/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–9–11 से निगरानी निरस्त हुई । आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष आदेश दिनांक 13–9–11 के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 21–7–11 से निरस्त हुआ। इन्हीं आदेशों से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिंदुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार मालथौन के प्रकरण कमांक 144 अ 68/09–10 में पटवारी हलका नंबर 118 व्दारा प्रस्तुत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक निल संलग्न है जिसमें आवेदक को ग्राम मालथौन स्थित शासकीय पहाड़ चटटान भूमि कमांक 368 रकबा

5.78 है. के 50X40 वर्गफुट पर मकान बनाकर अतिकमण करना दर्शाया है। प्रकरण में पटवारी हलका नंबर 118 की स्थल जांच रिपोर्ट " पावती मौसूदा दिनांक 13–10–10" संलग्न है तथा पृष्ठ कमांक 21(25) पर तहसीलदार मालथौन व्दारा आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया सूचना पत्र संलग्न है जो दिनांक 12–7–10 को जारी किया जाकर बचाव प्रस्तुत करने हेतु 22–7–2010 की पेशी लगाई गई है। इसी दिन आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर लेखी उत्तर प्रस्तुत किया है जिसका पद एक एंव दो इस प्रकार है :–

1. यह कि अनावेदक महेन्द्र कुमार का किसी तरह से ख.नं. 368 के 50X 40 के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया है न ही वर्तमान में कोई अतिकमण है।
2. यह कि उक्त निर्माण पवनकुमार पिता पन्नालाल जैन का है जिसके लिये उक्त मकान का कर ग्राम पंचायत मालथौन में पवनकुमार जैन अदा करते हैं, जिसकी रसीदें पवनकुमार श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उक्त मकान में पूर्व में कोमल राय रहता था और अब पवनकुमार रहते हैं उसका मकान नं. 97 है।

तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–7–10 के अवलोकन पर पाया गया कि सूचना पत्र दिनांक 12–7–10 के कम में आवेदक व्दारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 22–7–2010 के तथ्यों पर तहसीलदार ने स्थल पर जांच नहीं की है एंव न ही किसी अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी से वास्तविकता पर रिपोर्ट प्राप्त की है और न ही आवेदक को बचाव में लेखी / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने आवेदक को पटवारी रिपोर्ट मात्र पर से अतिकामक मानकर आदेश दिनांक 22–7–10 पारित करते हुये रूपये

1500/– का अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली का आदेश दिया है। स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–7–10 नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के अनुरूप नहीं है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 240 – अतिकमणकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी की गई – उत्तर के लिये कम से कम दो सप्ताह का समय उत्तर हेतु देना होगा ।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 240 – अतिकमणकर्ता ने अतिकमण कब से किया है– तथ्यों को सावित करने के सबूत का भार राज्य सरकार पर है – सबूत प्रमाणित कर अतिकमणकर्ता को बताना चाहिये। अभिकथित अधिक्रामक को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाना चाहिये तथा मौखिक साक्ष्य एंव लेखी साक्ष्य भी अभिलिखित करना लाजमी है। (सेधवा क्लब वि. म0प्र0राज्य 1998 रा.नि. 106 उच्च न्यायालय) से अनुसरित.

तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने स्वयं् व्दारा अतिकमण न करने एंव अतिकमण स्वरूप बताया गया मकान पवनकुमार पिता पन्नालाल जैन का होने, मकान का कर ग्राम पंचायत मालथौन में पवनकुमार जैन व्दारा अदा करने का तथ्य बताया है किन्तु इसका प्रमाण प्रस्तुत करने एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देते हुये उत्तर दिनांक 22–7–10 पर से 22–7–10 को जल्दवाजी में आदेश पारित करने की तहसीलदार ने त्रृटि की है और इन तथ्यों पर सिविल जेल की कार्यवाही आदेशित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने, अपर कलेक्टर ने अथवा अपर आयुक्त ने गौर न करने की त्रृटि की है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार से आवेदक पर रूपये 1500/– अर्थदंड अधिरोपित करने के पश्चात् दिनांक 5–8–10 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के पास आया है जिस पर इसी दिन अंतरिम

माना जा सकता और इन तथ्यों पर अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त व्दारा गौर न करने की भूल की है।

6/　　उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 730 बी 121/2010—11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.7.11 एंव 13.09.2011 एंव अपर कलेक्टर, सागर व्दारा प्र.क. 10/अ—68/10—11 पुन0 में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2011 तथा अनुविभागीय अधिकारी, खुरई व्दारा प्रकरण कमांक 144 अ 68/09—10 में पारित आदेश दिनांक 13—10—10, तहसीलदार मालथौन व्दारा पारित आदेश दिनांक 23—7—10 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि स्थल जांच में वास्तविक अतिकमण होना पाया जाय — राजस्व अधिकारी तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर